न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर0ए0एस)

निगरानी सं0 09/2019

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री इन्द्राज सहू जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर, हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन सांगठिया तहसील नोहर, हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत लाखासर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लाखासर तहसील नोहर ।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 09.07.2019 जिसमे प्रार्थी का पटटा खारीज किया गया को निरस्त कर अपील अनवानी हरिसिंह बनाम सुरेन्द्र आदि अपील स0 10 सन् 2019 खारिज करवाने बाबत्

उपस्थितः– श्री हवासिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांकः– 27.07.2021**

प्रार्थी ने बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 09.07.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है –

1. निगरानी कृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. अप्रार्थी न0 1 ने प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर मं एक अपील इस आशय के साथ पेश की है कि प्रत्यर्थी न0 1 सुरेन्द्र के पक्ष में ग्राम पंचायत लाखासर द्वारा जारी पटटा दिनांक 20.05.2001 खारीज किया जावें एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2/2

पटटा की जानकारी होने की दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की तथा अपील में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सांगठिया में अपीलान्ट का बहुत पुराना 110x70 फुट का कब्जा शुद्धा रिहायशी भूखण्ड है जिसमें उत्तर में मकान रामलाल व कृष्ण दक्षिण में आम रास्ता बाच्छुसर पूर्व में अपीलांट के भाईयों के मकान से निकास हेतु व्यक्तिगत रास्ता व पश्चिम में सुरेन्द्र का मकान है अपीलांट के मकान का निकास दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम बाच्छुसर जाने वाला रास्ता से है। अपीलांट अपने मकान को पिछले 40 साल से लगाातार उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है अपीलांट के भूखण्ड के पश्चिम की ओर सुरेन्द्र का प्लाट है जिसमें कच्चा मकान बना हुआ है जिसमें सुरेन्द्र निवास नहीं करता, सुरेन्द्र अरड़की बस स्टेण्ड के पास नोहर में निवास करता है। अपीलांट एवं सुरेन्द्र के मकानों का निवास दक्षिण की ओर बाच्छुसर रास्ता से है प्रत्यर्थी सुरेन्द्र ने अपने भूखण्ड से पूर्व की और दरवाजा बनाने लगा तो अपीलांट ने रोका तो प्रत्यर्थी सुरेन्द्र ने सिविल कोर्ट में दावा कर दिया दौराने दावा अपीलान्ट के वकील ने बताया की सुरेन्द्र ने उक्त जगह का पटटा बना रखा है जिसमें पूर्व की तरफ दरवाजा दिखाया है तभी पटटा की नकल प्राप्त की एवं अपील प्रस्तुत कर दी।

3. प्रत्यर्थी सुरेन्द्र ने अपील में उपस्थित आकर अपील के तथ्यों को इन्कार करते हुए जवाब पेश किया कि भूखण्ड पर उसके पिता का पुराना कब्जा चला आ रहा है उसके आधार पर प्रत्यर्थी के नाम पटटा जारी किया है जो कि नियमानुसार मिसल कायम की जाकर आपति नोटिस जारी कर नियमानुसार सारी कार्यवाही कर पटटा जारी किया गया है अपीलान्ट ने रंजिश वश मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है एवं निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के भूखण्ड का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर चौगान में खुलता है चौगान पर अतिक्रमण कर अपीलांट प्रत्यर्थी के पटटाशुद्धा भूखण्ड के मुख्य द्वार को बन्द करने पर आमादा है उसके बाद प्रत्यर्थी ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर में वाद एवं स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अदालत द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश जारी किया गया एवं यह भी निवेदन किया कि पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पटटा को निरस्त करवाने के लिए अपील संख्या 10/2014 कृष्ण बनाम सुरेन्द्र पंचायत समिति नोहर में प्रस्तुत की थी जो दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/3

11.08.2011 को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी पटटा का दक्षिणी हिस्सा 20x138 फुट खारीज किया था जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी ने अपर जिला कलक्टर नोहर की अदालत में निगरानी पेश की जो दिनांक 26.12.2016 को स्वीकार की गई एवं निर्णय दिनांक 26.12.2016 के खिलाफ कृष्ण ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश कर रखी है जिसमें स्थगन आदेश जारी है जिसके जैरकार रहते किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता उसके बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर प्रार्थी का पटटा खारिज किया है मातहत अदालत का निर्णय किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

4. ग्राम पंचायत लाखासर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.05.2001 को कानूनी प्रकिया की पालना करते हुए विधि अनुसार कब्जा के आधार पर 138x113 फूट का आबादी भूमि में पटटा जारी किया है जिसमें भवन निर्माण किया हुआ है एव मौका पर रिहायश एवं कब्जा है जो मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जिसको खुद अप्रार्थी हरिसिंह स्वीकार करता है उसमें बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा साजिसाना कार्यवाही कर पटटा खारिज किया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय चलने योग्य नही होने के कारण खारीज योग्य है।

5. अप्रार्थी स्वयं अपील में स्वीकार करता है कि सुरेन्द्र के भूखण्ड का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है और अब वह पूर्व की तरफ मुख्य द्वार खोलना चाहता है इसलिए पटटा खारिज किया जावें। मातहत अदालत ने अपीलांट की स्वीकृत को नजर अंदाज कर कानूनी प्रकिया की पालना नहीं करते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

6. अप्रार्थी के मकान के दक्षिण में आम चोगान है जिस पर अतिक्रमण करना चाहता है इसी उद्धेश्य की पूर्ति के लिए प्रार्थी के भूखण्ड को खारीज करवाना चाहता है ताकि चोगान में से उसका गेट बन्द हो जाये मातहत अदालत ने सिर्फ राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

7. कानूनी स्थिति के मुताबिक प्रभावित पक्षकार ही अपील प्रस्तुत कर सकता है जबकि अपीलांट किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है इस बात पर मातहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया सिर्फ राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से प्रार्थी को नुकसान पहुचाने के लिए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/4

विवदित भूखण्ड की बाबत पूर्व में कृष्ण बनाम सुरेन्द्र अपील हुई जिसमें प्रार्थी के पटटा को खारीज कर दिया जिसके विरूद्ध श्रीमान अदालत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.12.2016 में विवादित पटटा को सही माना है उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने श्रीमान अदालत के निर्णय के बावजूद भी प्रार्थी के पटटा को खारीज किया है इसलिए निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

9. अपीलांट ने मातहत अदालत में अपील मियाद बाहर पेश की है जबकि पटटा जारी होने का अपीलांट को ज्ञान था सिविल कोर्ट में दिनांक 22.07.2014 को हाजिर आकर जवाब पेश किया उसके बावजूद भी अपील मियाद बाहर पेश की है मियाद के बिन्दु पर मातहत अदालत द्वारा कोई गौर नहीं किया अपील इसी आधार पर खारिज योग्य थी उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

10. प्रार्थी के भूखण्ड के मुख्य द्वार को रोके जाने के आमादा होने पर प्रार्थी ने सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जिसमें स्थगन आदेश जारी है सारी जानकारी होते हुए भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

11. हरिसिंह व कृष्ण दोनो भाई है दोनो ने साज कर कार्यवाही कर रखी है जबकि दोनों किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। उनका उद्धेश्य सिर्फ आम चोगान में मुख्य द्वार बन्द हो जाये इसी उद्धेश्य की पूर्ति के लिए बार–बार कार्यवाही की जा रही है जिस पर मातहत अदालत ने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से हट कर राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

12. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में सुरेन्द्र का कच्चा मकान बताया है जबकि काफी वर्षो पुरानी पुरी बिल्डिंग है जिसमें प्रार्थी अपने पिता सहित रिहायश करता आ रहा है इस बात को नजर अन्दाज कर निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 09.07.2019 निरस्त कर प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा बहाल रखा जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/5

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रशासन स्थापना समिति की 09.07.2019 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी पेश की है। कृष्ण बनाम सुरेन्द्र के नाम से पंचायत समिति में एक अपील पेश की। बाद सुनकर दिनांक 11.08.2011 को हमारा पटटा खारिज कर दिया। 20x38 फुट का हिस्सा खारिज कर दिया। दिनांक 26.12.2016 को हमारी निगरानी स्वीकार हो गई। कृष्ण द्वारा इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की हुई है जिसमें स्टे जारी है। उसी पटटे को निरस्त कराने हेतु कृष्ण के भाई हरीसिंह ने पुनः अपील पेश कर दी। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने पूरा 138x113 पटटा खारिज कर दिया इसकी यह निगरानी है। मियाद के बिन्दु पर भी वह अपील खारिज योग्य है मियाद का प्रार्थना पत्र ही पेश नहीं किया। यह कार्यवाही राजनैतिक कारणों से की गई है। हरीसिंह के पास तो कोई पटटा ही नहीं है अत वह तो प्रभावित पक्षकार ही नहीं है, अपील कैसे कर सकता है। बार–बार हमें परेशान करने हेतु अपीलें पेश कर रहें है। निगरानी स्वीकार करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमनें पंचायत समिति की प्रशासन स्थापना समिति के समक्ष अपील पेश की। यह पटटा 138x113 दिनांक 20.05.2001 को जारी किया उसे खारिज करने हेतु पेश किया। हमारे पश्चिम में इनका मकान है, इनका निवास दक्षिण के रास्तें पर है जबकि पटटे में इसने पश्चिम मे हमारे प्लाट में रास्ता बना रखा है। दिनांक 07.04.2001 को सरपंच द्वारा पटटा जारी किया। 48 वर्ष पुराना कब्जा बताया गया है यह तो 2001 के समय नाबालिग था। नाबालिग को पटटा जारी नहीं किया जा सकता है तथा सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। पटटा 1735 वर्गगज का जारी किया गया है जबकि नियम 157 में 300 वर्गगज का ही पटटा जारी किया जा सकता है इस आधार पर भी खारिज योग्य है। दिनांक 07.04.2001 को सुरेन्द्र 12 वर्ष का था फिर भी पटटा जारी कर दिया इसका कोई आवेदन पत्र भी ग्राम पंचायत में नहीं था। DNJ 2017 Vol-II पेज न0 668 Sec.97 का दृष्टांत देकर बताया की भूखण्ड 300 वर्गगज से अधिक था तो कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार से परे मानी है। RRT 2009 Vol-I पेज न0 609 का दृष्टांत देकर बताया की सिविल कोर्ट में कब्जे का प्रकरण चल रहा था फिर भी पटटा निरस्त करने से सिविल कोर्ट की प्रोसिडिंग में बाधा नहीं है। RBJ 2017 पेज न0 274 का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/6

दृष्टांत देकर बताया की दफा 5 मेरिटोरियस केस पर पर मियाद बिन्दु लागू नहीं है। RRT 2003 Vol-I पेज न0 1328 का दृष्टांत देकर बताया की नाबालिग के पक्ष में पटटा जारी नहीं किया जा सकता हैं। RBJ 2008 पेज पेज न0 761 का दृष्टांत देकर बताया की 32 वर्ष का Delay Condance किया गया है पटटे सही खारिज किये है निगरानी खारीज फरमावें।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति में प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं इसका अपील में उल्लेख भी किया गया है। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 09.07.2019 मे भी मियाद अधिनियम का उल्लेख किया गया है अतः अधिवक्ता निगरानीकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। पत्रावली में शामिल उक्त पटटे की फोटोकॉपी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह पटटा पुराने गृह का विनियमितिकरण नियम 157 के अन्तर्गत करते हुए जारी किया गया है इस हेतु रसीद संख्या 100 बुक नम्बर 6 द्वारा 200 रूपयें की राशि जमा की गई है किन्तु पटटे के पृष्ठ भाग पर कुल क्षेत्रफल 1735 वर्गगज अंकित है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानों के विपरित है। अतः पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा अपना निर्णय दिनांक 09.07.2019 पारित करने में कोई विधिक त्रुटी नहीं करने से निगरानी खारीज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

(डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ)